(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 51/2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री भगवान लाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा उम्र 42 वर्ष जाति ब्राहामण निवासी सालपुरा रोड छबडा जिला बारॉ(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स बाबा प्लाजा सालपुर रोड छबडा जिला बारां (राज.)
2. मैसर्स बाबा प्लाजा सालपुर रोड छबडा जिला बारां (राज.)
3. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कामेश्वर सिंह निवासी ग्राम ठुमरी पोस्ट निश्वतगंज थाना परवतपुर शिवनगर नालंदा बिहार 801301 (नोमिनी) मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा.लि. खसरा नम्बर 385 गोगोरिया कृषि फार्म राम कुटिया मन्दिर के सामने ग्राम माचना कालवाड रोड जयपुर 303706
4. मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा.लि. खसरा नम्बर 385 गोगोरिया कृषि फार्म राम कुटिया मन्दिर के सामने ग्राम माचना कालवाड रोड जयपुर 303706

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री अश्विनी कुमार शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 26.12.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2022 को मैसर्स बाबा प्लाजा सालपुर रोड छबडा जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री भगवानलाल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28) नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **सोन पपडी (DMB) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** मे आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **सोन पपडी (DMB) 400 ग्राम मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे [illegible] रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, [illegible] पपडी **(DMB) 400 ग्राम मूल गत्ता पैक** के 04 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु [illegible] जिसकी कीमत [illegible] भगवानलाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) को 340/– रूपये (अक्षरे [illegible] रसीद प्राप्त [illegible] पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर [illegible] स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर [illegible] जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:40:05 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **सोन पपडी (DMB) 400 ग्राम मूल गत्ता पैक** के चारो भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1588 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1588 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री भगवानलाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/393 दिनांक 23.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1472/PHL/kota/Act/2023/1475 दि. 11.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सोन पपडी (DMB) 400 ग्राम मूल गत्ता पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे सुभाष शर्मा डायरेक्टर मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा.लि. द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **सोन पपडी (DMB) 400 ग्राम मूल गत्ता पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाई गयी। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के समस्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि आवेदन मे वर्णित तथ्य गलत, निराधार व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। आवेदक के अधिकारी द्वारा कथित नमूना (नग) को सही तरीके से सील नहीं किया तथा बिना सील किये ही विपक्षी संख्या 1 के दुकानदार द्वारा दबाव बना कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये है, जबकि आवेदक पक्षकार के अधिकारी का यह परम कर्तव्य था कि वह 400–400 ग्राम सोन पपडी **DMB** ब्रान्ड जो विपक्षी संख्या 1 की दुकान मे रखा हुआ था, जब्त किये गये नमूने और नगों को विपक्षी संख्या 1 दुकानदार के समक्ष सावधानी पूर्वक सील करता, जब सील सही रूपेण हो जाती तत्पश्चात विपक्षी दुकानदार के हस्ताक्षर करवाता, किन्तु उसके द्वारा समस्त औपचारिकतायें व नियमों की आशय पूर्वक अवहेलना करते हुये विपक्षी संख्या 1 दुकानदार को हैरान व परेशान करने की मंशा से उसके विरूद्व झूठा मुकदमा बनाकर पेश कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य होकर निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:40:05 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने नमूना (नगो) की गहनता से जांच नही की जाकर विपक्षीगण के विरूद्व झूठा परिवाद पत्र पेश किया है। आवेदक ने कहा से एनोलेसिस रिकार्ड प्राप्त किये है, उक्त एनोलेसिस की कोई प्रति आवेदक द्वारा विपक्षीगण को नही भिजवायी गयी है। उक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये सोन पपडी **DMB** ब्रान्ड किसी भी रूप मे मिसब्रांडेड नही था। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व जारी नोटिस/कार्यवाही निरस्त फरमाते हुये, उक्त झूठे आरोपों से मुक्ति प्रदान कर परिवाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1472/PHL/kota/Act/2023/1475 दि. 11.11.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सोन पपडी (DMB) 400 ग्राम मूल गत्ता पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1472/PHL/kota/Act/2023/1475 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं रूल्स 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को कुल जुर्माना राशि 70,000/– रूपये (अक्षरे सत्तर हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **26.12.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:40:05 IST
Reason: SelfAttested